



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

"प्रारूप 26"

13AA 955249

(नियम 4 का देखिए)

निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड विधान सभा के लिये निर्वाचन के लिये, रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अध्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र।

शपथ-पत्र

पुत्र श्री राम पाणी

वर्ष, जो ग्राम- पापड़ा, पट्टी- ५१७०१५-

तहसील- दृंगनोरी, जिला- टिहरी गढ़वाल का निवासी हूँ और उपरोक्त

निर्वाचन में अध्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन

करता हूँ:-

- 1- मैं ऐसे किसी लम्बित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया है/ किए गये हैं-  
(यदि अभिसङ्खी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का अभियुक्त है, तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा):
- i- मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं- लाख-८०
- ii- पुलिस थाना- , जिला- , राज्य- ।

-2-

- iii— सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराये) और उस अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है— ३।५०८।
- iv— न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई— ।।
- v— तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था / किए गये थे— ।।
- vi— क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है— ३।५०८।
- 2— मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम—1951) (1951 का 43) की धारा—8 की उपधारा (1) या उप धारा (2) में निर्दिष्ट या उप धारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है, और वर्ष या अधिक के लिये कारावास से दण्डादिष्ट नहीं किया गया है।  
(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा):
- i— मामला/प्रश्नम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं— ३।५०८।
- ii— न्यायालय, जिसने दण्डित किया है— ।।
- iii— पुलिस थाना (थाने)— ✗ , जिला (जिलों)— ✗ राज्य— ✗
- iv— सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराये) और उस अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है— ३।५०८।
- v— तारीख (तारीखें) जिनको आरोप दण्डादेश सुनाया गया था / सुनाए गये थे— ।।
- vi— क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है / रोके गये हैं— ।।

स्थान— नई टिहरी।  
तारीख— १०.१.२०१८

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता हूँ कि इस शपथ पत्र के अन्तर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है, और कोई तात्त्विक बात छिपाई नहीं गई है।

स्थान नई टिहरी, दिनांक—१०.१.२०१८ को सत्यापित किया।

अभिसाक्षी  
10.1.2018  
Grand Street Belways  
Advocate & Notary Public  
No. 15481748878